:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी ने अपने पत्र
संख्या 1540 / पी.एम.जी.एस.वाई.सि.ख. दिनांक 29.09.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग (3.318 हे0) के निर्माण हेतु
6.636 हे0 स्याबा सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये
जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्रावली की दाहिनी ओर पताका "ब" पर प्रस्तुत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून द्वारा अपने पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 105 / 2017 / एफ0सी0 / 576 दिनांक 26.06.2018 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.636 है0 ग्राम स्याबा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 बर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी द्वारा अपने पत्र संख्या 319 / पी.ए. –विविध जांच. पत्रा. / 2018–19 दिनांक 04 फरवरी, 2019 के द्वारा निम्न प्रकार से आख्या प्रस्तुत की गयी है। 1–प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थल मन्दिर मस्जिद आदि नहीं है।2–प्रस्तावित भूमि में कोई सरकारी / गैर सरकारी भवन नहीं है। 3–प्रस्तावित भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। 4–प्रस्तावित भूमि का वन विभाग एवं याचक विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया। सयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है। 5–प्रस्तावित भूमि के पूर्व में सालू गांव की सीमा है। पश्चिम में स्याबा गांव है। उत्तर में भागीरथी नदी है तथा दक्षिण में लोहडीतोक है।
6– प्रस्तावित भूमि के खसरा नं0 31 / 0.660, 44 / 0.219, 227 / 0.216, 238 / 0.532, 273 / 0.958, 309 / 0.693, 324 / 0.315, 333 / 0.267, 364 / 0.376, 405 / 0.471, 410 / 0.191, 415 / 0.377, 419 / 0.972, 424म0 / 0.040, 428 / 0.349 कुल 15 खेत रक्वा 6.636 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी श्रेणी–9(3) ड0 की भूमि है नक्शा खसरा खतौनी नकल संलग्न की गयी है।

अतः तहसीलदार / उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी से प्राप्त आख्या अनुसार ग्राम स्याबा पट्टी नाल्ड कठूड़ तहसील भटवाडी में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व वर्ग–9 (3)ड. की भूमि खसरा नं0 31 / 0.660, 44 / 0.219, 227 / 0.216, 238 / 0.532, 273 / 0.958, 309 / 0.693, 324 / 0.315, 333 / 0.267, 364 / 0.376, 405 / 0.471, 410 / 0.191, 415 / 0.377, 419 / 0.972, 424म0 / 0.040, 428 / 0.349 कुल 15 खेत रक्वा 6.636 हे0 भूमि प्रस्तावित की गयी है। शासनादेश संख्या 260 / वित्त अनुभाग–3 / 2002 दिनांक 15.02.2002, शासनादेश संख्या 111 / XXVII (7)50(39) / 2015 / 2014 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या 1887 / XVIII(II)2015–18(169) / 2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। रिट याचिका संख्या 2764 / 2011 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 आच्छादित नहीं है। अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जामक बयाणा से स्याबा मोटर मार्ग स्वीकृत है जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कोटबंगला उत्तरकाशी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि को नामान्तरित / हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

ह0 / –
(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 9503 / ग्यारह–11(2017–18) दिनांक 17 ~~मार्च~~ जुलाई, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– उप जिलाधिकारी / तहसीलदार, भटवाड़ी।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी।

17.7.19

प्रभारी अधिकारी
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।